पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

की रूपरेखा

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली

पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

हिन्दी में पुलिस संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने 23 मई, 1979 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय वैद्यक, अपराध शास्त्र, पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार माला प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को श्री भाल चन्द्र देशमुख, अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है । इस संबंध में जारी किए गए संकल्प की अविकल प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिए नीचे दी जा रही है। इसमें दिनांक 26.7.94 को गृह मंत्रालय के यू.ओ.सं0 1159/94-एफ.पी.।।। तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 7.9.2000 के यू.ओ.नोट सं. 3530/एफ.ए.(गृह)तथा अति.सचिव एवं वित्त सला.(गृह) के डा.सं.एफ 430-07 तथा 1406-07 दिनांक क्रमशः 22.5.07 व 21.8.07 द्वारा पुरस्कार राशियों में की गई वृद्धि व अन्य संशोधन भी शामिल हैं।

संकल्प

भारत सरकार, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) ने न्यायालयिक विज्ञान (फोरेंसिक साइंस) प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन क्षेत्र में उपयुक्त तथा रूचिकर मूल हिन्दी पुस्तकें लिखने/अनुवाद करने के लिए रचनात्मक लेखकों/अनुवादकों को प्रोत्साहित करने हेतु पं0 गो0 वल्लभ पंत पुरस्कार योजना शुरू की है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम तथा विनियम होंगे :-

योजना का शीर्षक

यह योजना न्यायालयिक विज्ञान, प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन तथा इनसे संबंधित विषयों पर लिखी हिन्दी पुस्तकों (मूल अथवा अनूदित) के लिए पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के नाम से जानी जाएगी ।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में न्यायालयिक विज्ञान, प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन विषयों पर मूल पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना में उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में प्रकाशित प्रामाणिक मूल पुस्तकों के लेखकों अथवा उपर्युक्त विषयों पर अन्य भाषाओं की प्रामाणिक पुस्तकों की हिन्दी में अनूदित कृतियों को वार्षिक पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इसमें उपर्युक्त विषयों में से विनिर्दिष्ट प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने के विशेष अनुबंध करने की व्यवस्था भी है।

पुरस्कार की राशि

न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन विषयों की उत्कृष्ट हिन्दी पुस्तकों पर, इन नियमों के पैरा 1(2) के अनुसार गठित मूल्यांकन समिति, उत्कृष्टता के क्रम से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में पांच पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रत्येक पुरस्कार तीस-तीस हजार रूपए तक का होगा ।

(इसमें एक पुरस्कार महिला लेखकों के लिए आरक्षित है वशर्ते उनकी रचनाएं प्राप्त हों)

2. यदि मूल्यांकन समिति द्वारा किसी वर्ष में मूल कृतियों को पर्याप्त उच्च स्तर का नहीं पाया जाता है तो कोई भी अथवा सभी पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

3. मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के बाद आरंभ किए गए उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी से इतर भाषाओं की प्रामाणिक पुस्तकों के हिन्दी अनुवादों के लिए प्रत्येक 14,000/- रूपए तक के दो वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे बशर्ते कि अनूदित कृति को मूल्यांकन समिति द्वारा पर्याप्त उच्च स्तर का पाया जाए । (इसमें एक पुरस्कार महिला लेखकों के लिए आरक्षित है वशर्ते उनकी रचनाएं प्राप्त हों)

4. इस योजना के भाग-2 के अंतर्गत दो पुरस्कार रू. 40,000/ के दो पुरस्कार रखे हैं जिसमें मूल्यांकन समिति दो विषय निर्धारित करेगी तथा उस पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाएंगी । चयन होने पर लेखन कार्य सौंपा जाएगा । (इसमें एक पुरस्कार महिला लेखकों के लिए आरक्षित है) यदि उपरोक्त के लिए उपयुक्त रूपरेखाएं प्राप्त नहीं होती है तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो मूल्यांकन समिति के अनुमोदन से ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों को उपर्युक्त विषयों पर पुस्तकें लिखने अथवा उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी से इतर भाषाओं की प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य भी सौंप सकता है और उस मामले में ऐसे अनुबंधों के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा यथा-अनुमोदित पारिश्रमिक 40,000/- रूपए से अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा ।

4. पुरस्कारों का प्रशासन

पुरस्कार प्राप्त-कर्ताओं का चयन करने और चयन से संबंधित नियम बनाने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) को पूर्ण अधिकार होगा । मूल्यांकन समिति का निर्णय सभी प्रकार से अंतिम तथा मान्य होगा और इस संबंध में कोई भी पुनर्विचार अथवा अपील नहीं की जा सकेगी।

2. मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक, मूल कृति के अनुवाद अथवा पांडुलिपि के साथ लेखक/अनुवादक द्वारा पूरी तरह से भरा हुआ तथा हस्ताक्षर किया हुआ प्रवेश पत्र अनिवार्यतः इस विभाग द्वारा निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. कोई भी पुस्तक, मूल कृति का अनुवाद अथवा पांडुलिपि, जिसे भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा निजि एजेंसी द्वारा परिचालित किसी अन्य योजना के अधीन कोई पुरस्कार, आर्थिक सहायता अथवा अन्य कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, योजना के अधीन पुरस्कार के लिए विचार किए जाने की पात्र नहीं होगी ।

4. उपर्युक्त दोनों विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों/पांडुलिपियों के लेखकों के पास उनकी पुस्तकों का कापीराइट रहेगा ।

5. किसी भी लेखक को एक कैलेंडर वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

6. यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक, पांडुलिपि अथवा अनूदित कृति के एक से अधिक लेखक हों तो पुरस्कार की राशि को सह-लेखकों में समान रूप से बांट दिया जाएगा ।

7. मूल्यांकन समिति द्वारा पांडुलिपि तथा अनूदित कृति के अनुमोदन के बावजूद भी पुरस्कारों का वास्तविक वितरण पुस्तक,अनूदित कृति के प्रकाशन के बाद ही किया जाएगा ।

8. हिन्दी भाषा में मौलिक पुस्तकें लिखवाने/अनुवाद कराने का विशेष कार्य सौंपने के लिए विभाग लेखक के साथ एक करार करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाएगा । असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर एक बार निर्धारित की गई अवधि को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा । चूक होने पर अथवा कार्य उपयुक्त स्तर का न पाए जाने पर विभाग को यह अधिकार रहेगा कि एक-पक्षीय आधार पर करार को रद्द कर दे और इस एक-पक्षीय निर्णय के विरूद्ध कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा ।

9. विशेष अनुबंध के मामले में राशि का भुगतान अधिक से अधिक दो किश्तों में किया जाएगा । प्रत्येक किश्त की राशि और इसका भुगतान कब किया जाए, इसका निर्णय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा ।

10. किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है,वह आगामी तीन वर्ष के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा ।

कथित विषयों पर हिन्दी मौलिक पुस्तकें लिखवाने के लिए जब किसी लेखक को विशेष कार्य दिया जाए तो पांडुलिपि का मूल्यांकन तथा अनुमोदन करने के बाद मूल्यांकन समिति अपने विवेकानुसार पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) से उसे प्रकाशित करने के लिए कह सकती है । यदि विशेष कार्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा प्रकाशित कराया जाता है तो कापीराइट इस विभाग का ही रहेगा और प्रकाशित पुस्तकों की कम से कम कितनी प्रतियां इस विभाग द्वारा खरीदी जाएं, इस बात का निश्चय मूल्यांकन समिति करेगी ।

5. पुरस्कार के लिए पात्रता

योजना पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा लागू की जाएगी । यह पुरस्कार प्रत्येक कलेंडर वर्ष में प्रदान किए जाएंगे तथा इनका आधार पुरस्कार वर्ष से पूर्व में या मूल्यांकन समिति जैसा भी निर्णय ले, लेखकों द्वारा किए गए कार्य पर जैसा कि उनकी प्रस्तुत पुस्तक/पांडुलिपि से विदित होगा, निश्चय किया जाएगा । इस पुरस्कार योजना में कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकेगा।

6. मूल्यांकन समिति

इस योजना के अधीन पुरस्कार देने के उद्देश्य से न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस प्रशिक्षण और पुलिस प्रशासन विषयों पर सर्वोत्तम पुस्तकों/पांडुलिपियों/अनूदित कृतियों के चुनाव तथा मूल्यांकन के लिए महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधीन एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी ।

2. मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सात सदस्य होंगे : -

1. महानिदेशक **अध्यक्ष**
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली-110003

2. निदेशक, **सदस्य**
न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय,
ब्लाक-9, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

3. निदेशक (प्रशा.), **सदस्य**
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली-110003

4. निदेशक (रा0 भा0), **सदस्य**
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली

5. न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस के क्षेत्र के हिन्दी में ख्याति प्राप्त अथवा हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले दो गैर-सरकारी व्यक्ति (महानिदेशक, पुलिस-अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा नामित किए जाएंगे) ।

6. संपादक हिन्दी, **सदस्य सचिव**
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली-110003

(दिनांक 20.3.2013 की पं.गो.व.पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना की समिति के अध्यक्ष ने उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त ब्यूरो के अपर महानिदेशक एवं निदेशक (एस.पी.डी) को भी आगामी बैठकों में सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है)

3. समिति के गैर-सरकारी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। किसी सदस्य के पद त्यागने, सेवानिवृत्त होने अथवा मृत्यु हो जाने अथवा किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप मूल्यांकन समिति में होने वाला रिक्त स्थान महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा नामित किए गए व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा।

4. यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य योजना के अधीन पुरस्कार के लिए प्रतियोगी है तो जिस वर्ष में अन्य पुस्तकों के साथ-साथ उसकी पुस्तक का भी मूल्यांकन किया जाता है उस अवधि में उसे मूल्यांकन समिति की बैठकों में शामिल नहीं किया जाएगा तथा उनके स्थान पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दूसरा अधिकारी नामित किया जाएगा ।

5. मूल्यांकन समिति के गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और उस समय लागू नियमों के अधीन यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

6. मूल्यांकन समिति के सदस्य प्राप्त हुई पांडुलिपियों तथा उनमें दी गई सामग्री की उत्कृष्टता मालूम करने के लिए विचार करेंगे तथा पुरस्कार के लिए उस उम्मीदवार के नाम की सिफारिश अध्यक्ष महोदय को करेंगे, जिससे इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार पुरस्कार दिया जाना है ।

7. पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) प्रति वर्ष हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाने के लिए सूचना जारी करेगा जिसमें योजना के अधीन पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजने का अनुरोध किया जाएगा। इस सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अधीन प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख भी दी जाएगी ।

2. लेखक अपने आवेदन-पत्र तथा पुस्तकें अथवा पांडुलिपियां, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजेंगे । प्राप्त पुस्तकों/पांडुलिपियों की प्रतियां लेखकों को वापस नहीं की जाएंगी ।

3. यदि इस पुरस्कार में शामिल करने के लिए भेजी गई किसी मूल रचना को किसी अन्य योजना के अंतर्गत किसी भी सरकार द्वारा पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है तो लेखक को यह तथ्य महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को प्रेषित पत्र में स्पष्ट करना होगा ।

4. मूल्यांकन समिति की सिफारिशें स्वीकार हो जाने के बाद, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो पुरस्कारों की घोषणा करेगा ।

5. इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत करने के लिए चुनी गई पांडुलिपियों को प्रकाशित करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) को पूरा-पूरा अधिकार होगा ।

6. पुरस्कार प्रदान करने के पर्याप्त समय पूर्व प्राप्तकर्ताओं को सूचित किया जाएगा तथा निर्णयानुसार उपयुक्त अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ।

8. मूल्यांकन की प्रक्रिया

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) लेखकों से प्राप्त हुई सभी मुद्रित रचनाओं/पांडुलिपियों तथा अनूदित सामग्री की प्रतियां मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष के पास भेजेगा तथा उन्हें सदस्यों में सर्कुलेट करने के लिए आदेश प्राप्त करेगा। सदस्यों से रचनाओं के बारे में गुण क्रमानुसार अपनी सिफारिशें निर्धारित समय में देने का अनुरोध करेगा ।

2. सभी सदस्यों से सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर अध्यक्ष पूर्व निर्धारित तारीख को मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाएंगे तथा सदस्य सचिव सभी सदस्यों की सिफारिशों को एक सारणी के रूप में समिति के अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करेंगे । मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय सभी दृष्टियों से अंतिम और मान्य होंगे और उनके संबंध में किसी भी प्राधिकारी को अपील नहीं की जा सकेगी ।

3. उचित प्रकार से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझने पर समिति लेखकों तथा उनकी पुस्तकों/पांडुलिपियों के बारे में अतिरिक्त सूचना भी मांग सकती है ।

4. समिति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में उपयुक्त प्रशंसात्मक उल्लेख तैयार करेगी ।

5. इस योजना के कार्यान्वयन तथा संयोजन संबंधी सभी कामकाज की जिम्मेदारी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की होगी ।

पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

<u>प्रपत्र</u>

1 पुस्तक का नाम व विषय ----------

2. पुस्तक का संस्करण व वर्ष----------

3. लेखक/अनुवादक का नाम और पूरा पता----------

4. प्रकाशक का नाम और पता----------

5. रायल्टी पाने वाली संस्था : अथवा व्यक्ति का नाम व पूरा पता----------

6. (क) क्या यह रचना मूल अथवा अनूदित है----------

(ख) क्या अनूदित कृति है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक और प्रकाशक का पूरा पता ----------

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह अनूदित कृति है तथा इसके लेखक और प्रकाशक से हिंदी अनुवाद तथा प्रकाशित करने की अनुमति ले ली गई है ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तक की मूल कृति, अनुवाद अथवा पांडुलिपि पर भारत, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा परिचालित कोई पुरस्कार अथवा किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई हैं ।

दिनांक हस्ताक्षर (लेखक/अनुवादक)